GOVERNMENT OF INDIA

Chandigarh Administration Gazette

Published by Authority

No. 176] CHANDIGARH MONDAY, DECEMBER 22, 2025 (PAUSA 01, 1947 SAKA)

CHANDIGARH ADMINISTRATION
FINANCE DEPARTMENT
(STATISTICAL CELL)

Notification

The 22nd December, 2025

No. 3/4/02/RO(SA)/1071.—In exercise of the powers conferred by section 38 of the Banning of Unregulated Deposit Schemes Act, 2019 (Central Act 21 of 2019) and all other powers enabling him in this behalf, the Administrator, Union Territory of Chandigarh in consultation with the Central Government, is pleased to make the following rules for carrying out the provisions of the said Act, namely :-

RULES

1. **Short title and commencement:-** (1) These rules may be called "Chandigarh Banning of Unregulated Deposit Schemes Rules, 2025".

(2) These rules shall come into force on the date of publication in the official Gazette.

2. **Definition**:- (1) In these rules, unless the context otherwise requires;

(a) "Act" means the Banning of Unregulated Deposit Schemes Act, 2019 (Central Act 21 of 2019);

(b) "Application" means an application filed by the Competent Authority under section 14 of the Act;

(c) "complaint" means a representation or allegation made in writing or through electronic means containing information on the promotion or operation of an Unregulated Deposit Scheme or any advertisement, including a person to invest in or become a member of the Unregulated Deposit Scheme;

Signature Not Verified
Digitally signed by SURESH BALA
Date: 2025.12.22 15:11:25 IST
Reason: Published
Location:

(d) "Form" means a form appended to these rules;

(e) "Appropriate Government" means the Administrator, Union Territory of Chandigarh

This is Digitally Signed Gazette. To verify, visit :
https://egazette.chd.gov.in

(f) "Competent Authority" means an authority appointed by the appropriate Government under sub section (1) of section 7 of the Act;

(g) "Designated Court" means a Designated Court constituted with the concurrence of High Court by the appropriate Government under sub section (1) of section 8 of the Act;

(h) "Section" means a section of the Act; and

(i) "Suo motu cognizance" means an action taken by a Government agency, court or other State or Central Government authority on its own apprehension or official acts of its own initiative.

(2) The words and expressions used herein and not defined but defined in the Act shall have the meaning assigned to them in the Act.

3. Ceiling for Self Help Groups:- Any periodical payment made by the member of the Self help groups upto the sum of rupees 4.00 Lakh (Rs. Four Lakh only) per annum shall not form a part of 'deposit' as defined in clause (j) of sub section (4) of section 2 of the Act.

4. **Manner of provisional attachment and administration of attached property**:- The Competent Authority shall pass an interim order of the provisional attachment, of the deposits held by the deposit taker and the money or other property (**moveable or immovable**) acquired either in the name of the deposit taker or in the name of any other person on behalf of the deposit taker, under sub-section (3) of section 7 of the Act, in **Form 1** to that effect mentioning the following details of the property (ies) to be attached, namely:-

(a) a copy of the order of provisional attachment shall be served by the officers appointed under sub-section (2) of section 7 of the Act, to the owner of the property (ies) or any other person who claims to be in possession or any other person who has an interest in the said property (ies);

(b) after passing the provisional attachment order under this rule, the Competent Authority shall direct the officers appointed under sub-section (2) of section 7 to prepare and maintain details of the property(ies) so attached and the expenditure incurred in this regard;

(c) the officers appointed under sub-section (2) of section 7 may seek assistance of Police, other officials of the Chandigarh Administration, Central Government, financial institutions, society or body of persons for the purpose of taking possession of the property (ies) so attached;

This is Digitally Signed Gazette. To verify, visit :
https://egazette.chd.gov.in

(d) the order of provisional attachment shall be published in a leading newspaper both in Hindi and English having wide circulation in the area or jurisdiction in which the deposit taker is located;

(e) the Competent Authority shall send a copy of the order of provisional attachment to the officials concerned of Revenue, Tax, or any other officials required in this regard to place incumberance on the said movable or immovable property (ies), which shall be removed only on the written instruction from the Competent Authority to that effect;

(f) where the competent Authority or the officers appointed under sub-section (2) of section 7 is not able to serve the order of provisional attachment to a person specified in clause (a), then such person shall be deemed to be served the order by the publication of the order in the manner specified under clause (d);

(g) the officer appointed under sub-section (2) of section 7 shall take possession of the **immovable property(ies),** by affixing the order of provisional attachment at a conspicuous place of such immovable property (ies); with the approval of Competent Authority;

(h) where the property (ies) to be attached is/are a **moveable property (ies),** the officers appointed under sub-section (2) of section 7 shall take actual possession of such property (ies) and retain it in his custody with the approval of Competent Authority;

(i) the officers appointed under sub-section (2) of section 7 shall assess assets and liabilities of the deposit taker and prepare a complete record of depositors from whom the deposit taker has collected deposits pursuant to an Unregulated Deposit Scheme;

(j) the officers appointed under sub-section (2) of section 7 may appoint a valuer for the purpose of assessing assets and liabilities of the deposit taker under clauses 4 (i);

(k) where any property (ies) of which possession has been taken is of a perishable or hazardous nature, the officers appointed under sub-section (2) of section 7 may dispose-off such property keeping in mind the best interest of the depositors;

This is Digitally Signed Gazette. To verify, visit :
https://egazette.chd.gov.in

(l) the notice details and proceeds of sale of perishable or hazardous goods under clause (k) shall be entered in **Form 2;** and

(m) the notice details and proceeds of sale of moveable or immoveable properties as directed by the Designated Court shall be entered in **Form 3,**

5. The Competent Authority or the officers appointed under sub-section (2) of section 7 shall hold the powers of issuing the following notices, namely: -

(a) notice for initiation of action in a manner specified in **Form 4;**

(b) notice for additional information, if any, in a manner specified in **Form 5;** and

(c) final notice for personal appearance of deposit taker or other person and witnesses in a manner specified in **Form 6.**

6. (1) Powers relating to absconding persons.- Where the Competent Authority or the officers appointed to assist the Competent Authority is satisfied or has reasons to believe that a person in respect of whom action is contemplated under the Act has absconded or is concealing himself, the Competent Authority or the officers appointed to assist the Competent Authority shall make a report in writing to the Designated Court for further course of action.

(2) Power to appoint experts in various fields. – The Competent Authority or an officer appointed to assist the Competent Authority shall be entitled to use the services of experts whose services are necessary for implementation and execution of provisions of the Act, as and when required.

This is Digitally Signed Gazette. To verify, visit :
https://egazette.chd.gov.in

FORM 1

[See rule 4]

Reference No.....

To

Name

Address

(Bank/Post Office/Financial Institution/ Immovable Property registering authority)

Provisional attachment of property under section 7(3)

This is to inform that proceedings have been lodged against M/s.....(Name), on receiving information that the aforesaid person is soliciting deposits in contravention of section 3 of the Banning of Unregulated Deposit Schemes Act, 2019 (Central Act 21 of 2019).

Hence, I .....(Name), ...(designation), in exercise of the powers conferred under sub-section (3) of section 7 of the Act, hereby provisionally attach the account/property mentioned below.

Details of Property (ies)/Accounts

The property mentioned above shall not be allowed to be disposed-off without the prior permission of the under- signed.

Copy to .....

Signature:

Name:

Designation:

This is Digitally Signed Gazette. To verify, visit :
https://egazette.chd.gov.in

Form 2

[See rule 4 (1)]

NOTICE FOR SALE OF PROPERTY
(PERSIHABLE AND HARZARDOUS NATURE ONLY)

Office of the ----------

Whereas the property belonging to M/s ---------- (defaulter) mentioned in the Schedule below have been attached for the recovery of arrears amounting to Rs ---------- which sum is recoverable together with interest at ---------- for the period commencing immediately after the dues which are cost, charges and expenses of the proceedings for the recovery thereof.

Considering the perishable or hazardous nature of the property, the undersigned has ordered the sale of the attached property mentioned in the annexed Schedule in satisfaction of the said arrears, costs, charges and expenses;

And whereas on the ---------- day of ---------- (The date fixed for the sale) there will be due there under a sum of Rs. ---------- including costs and interest;

Notice is hereby given that in the absence of any order of postponement, the said property shall be sold by ---------- in public auction at ---------- a.m./p.m. on the said ..... day of ..... at ..... (Place).

At the sale, the public generally are invited to bid either personally or by dully authorized agents. No officer or other person having any duty to perform in connection with this sale shall, however either directly or indirectly bid or, acquire any interest in the property sold.

The sale shall be subject to the following further conditions:-

(i) The particulars specified in the annexed Schedule have been stated to the best of the information of the undersigned, but the undersigned shall not be answerable for any error, misstatement or omission in this notice.

(ii) The amounts by which the biddings are to be increased shall be determined by the officer conducting the sale. In the event of any dispute arising as to the amount of bid, or as to the bidder, the lot shall at once again be put up to auction.

(iii) The highest bidder shall be declared to be the purchaser of any lot provided always that he is legally qualified to bid, and it shall be in the discretion of the undersigned to declaim acceptance of the highest bid when the bid is less than the reserve price, if any, fixed or when the price offered appear so clearly inadequate as to make it advisable to do so.

This is Digitally Signed Gazette. To verify, visit :
https://egazette.chd.gov.in

(iv) The person declared to be the purchaser shall pay immediately after such declaration a deposit of fifty percent on the amount of his purchase money to the officer conducting the sale and in default of such deposit, the property shall be put up again and resold. The full amount of the purchase money payable shall be paid by the purchaser to the undersigned on or before the 30th day from the date of the sale of the property, exclusive of such day or if the 30th day is Sunday or other holiday then on the first office day after the 30th day. In default of payment within the period mentioned above, the property shall be resold after the issue of afresh notice of sale. The deposit, after defraying the expenses of the sale shall be liable to be forfeited to the Government and defaulting purchaser shall forfeit all claims to the property or to any part of the sum of which it may subsequently be sold.

SCHEDULE- PROPERTY [Perishable or hazardous Nature]

S. No	Item	Specification Item	Value assessed	Amount for which the sale is ordered

This is Digitally Signed Gazette. To verify, visit :
https://egazette.chd.gov.in

Form 3

[See rule 4(m)]

NOTICE FOR SALE OF PROPERTY
(AS DIRECTED BY DESIGNATED COURT)

Office of the .....

Whereas the property belonging to M/s ..... (defaulter) mentioned in the Schedule below have been attached for the recovery of arrears amounting to Rs..... which sum is recoverable together with interest at ..... for the period commencing immediately after the dues which are costs, charges and expenses of the proceedings for the recovery thereof.

And whereas the undersigned has ordered the sale of the attached property mentioned in the annexed Schedules in satisfaction of the said arrears, costs, charges and expenses.

And whereas on the ..... day of ..... (The date fixed for the sale) there will be due there under a sum of Rs..... including costs and interest;

Notice is hereby given that in the absence of any order of postponement, the said property shall be sold by ..... in public auction at ..... a.m./p.m. on the said .....day of .....at .....(Place).

The sale will be of the property as mentioned in the schedules below. The liabilities and claims attaching to the said property, so far as they have been ascertained, are those specified in the schedules against each lot.

When a portion of the property is put for sale, the sale with respect to the remainder portion shall immediately be stopped. The sale will also be stopped if the officer conducting the sale or proof is satisfied that the amount of arrears, interest and costs has been paid, before any lot is knocked down, to the undersigned.

At the sale, the public generally are invited to bid either personally or by duly authorized agents. No officer or other person having any duty to perform in connection with this sale shall, however either directly or indirectly bid or, acquire any interest in the property sold.

The sale shall be subject to the following further conditions: -

(i) The particulars specified in the annexed Schedules have been stated to the best of the information of the undersigned, but the undersigned shall not be answerable for any error, misstatement or omission in this notice.

This is Digitally Signed Gazette. To verify, visit :
https://egazette.chd.gov.in

(ii) The amounts by which the biddings are to be increased shall be determined by the officer conducting the sale. In the event of any dispute arising as to the amount of bid, or as to the bidder, the lot shall at once again be put up to auction.

(iii) The highest bidder shall be declared to be the purchaser of any lot provided always that he is legally qualified to bid, and it shall be in the discretion of the undersigned to declaim acceptance of the highest bid when the bid is less than the reserve price, if any, fixed or when the price offered appear so clearly inadequate as to make it advisable to do so.

(iv) The person declared to be the purchaser shall pay immediately after such declaration a deposit of fifteen percent on the amount of his purchase money to the officer conducting the sale and in default of such deposit, the property shall be put up again and resold. The full amount of the purchase money payable shall be paid by the purchaser to the undersigned on or before the 30th day from the date of the sale of the property, exclusive of such day or if the 30th day is Sunday or other holiday then on the first office day after 30th day. In default of payment within the period mentioned above, the property shall be resold after the issue of afresh notice of sale. The deposit, after defraying the expenses of the sale shall be liable to be forfeited to the Government and defaulting purchaser shall forfeit all claims to the property or to any part of the sum of which it may subsequently be sold.

SCHEDULE–I [MOVABLE PROPERTY]

S. No.	Item	Item Specification	Value assessed	Amount for which the sale is ordered

SCHEDULE-II [IMMOVABLE PROPERTY]

Taluk	village	Name of defaulter	The position and extent of the land and of its building and other known improvements thereon	The amount of revenue assessed on the land or upon its different sections	Amount for the recovery of which the sale is ordered
1	2	3	4	5	6

This is Digitally Signed Gazette. To verify, visit :
https://egazette.chd.gov.in

FORM 4
[See rule 5(a)]
Notice for initiation of action

To

_____

_____.

Sir/ Madam,

Sub: M/s

Based on the information or reports received, it is prima facie apparent that the subject (deposit taker) is involved in the act which are cognizable under the provisions of section 3 of this Act. In exercise of the powers under sub section (3) and (4) of the section 7 of the Act, the following is ordered:

In connection with the subject, you are required to submit the following:

(a) Details of financial entity, registration of the entity, permissions to accept deposits from regulators if any, including unique identification number or Registration and PAN numbers.
(b) Details of the Promoters, Managing Directors, Directors, Partners, Management persons etc., including unique identification number or Registration and PAN numbers.
(c) Latest audited Balance Sheet and Profit and Loss accounts filed.
(d) Details of the Regulator and the copy of registration certificates, permissions to undertake the activity of deposit taking.
(e) Produce full details of the Scheme of Deposits under which deposits are being collected from public.
(f) List of the Depositors along with Deposit accepted, Rate of interest, Maturity Date, terms of repayment of interest and principal, any other promises or assurances or commissions payable etc.
(g) Details of default if any in repayment of Deposit or any specified service promised against such deposit along with date of default.
(h) Total amount in default and number of depositors affected, if any
(i) Reasons for default if any
(j) Steps taken or proposed to repay the amount in default
(k) Details of the Bank accounts of the financial entity with latest balance in the accounts.

You are hereby required to submit full details listed above duly attested and supported by valid documents, accounts and any other evidence, if any, you may rely in support of the activity or the acts of the matter to office of the under signed on _____ at _____, either in person or through representative duly authorized in writing.

In case you fail to comply with the orders of the under signed, it will be deemed that you have nothing to say in the matter and action under the appropriate provisions of the Act will be initiated. Failure to be present at the hearing granted, or failure to present evidence can result in a Best Judgement Assessment or an ex-parte order.

Dated:

Yours faithfully,

Signature
Designation

This is Digitally Signed Gazette. To verify, visit :
https://egazette.chd.gov.in

FORM 5

[See rule 5 (b)]
Notice for additional information

To

_____
_____

Sir/Madam,
Sub: M/s
Ref; Notice in Form -4 dated :-

Based on the information or reports received, it is prima facie apparent that the subject (deposit taker) is involved in the act which are cognizable under the provisions of section 3 of the Act.

In exercise of the powers under sub section (3) and (4) of the section 7 of the Act, the following is ordered:

(A) Certain details or clarification or additional information listed below are required in connection with the unregulated deposit schemes or any specified services promised against such deposit. You are hereby required to furnish the same immediately.

i.
ii.
iii.
iv.

(B) You are hereby required to submit full details listed above duly attested and supported by valid documents, accounts and any other evidence, if any, you may rely in support of the activity or the acts of the matter to office of the under signed on _____at _____ , either in person or through representative duly authorized in writing.

(C) In case you fail to comply with the orders of the under signed, it will be deemed that you have nothing to say in the matter and action under the appropriate provisions of the Act will be initiated. Failure to be present at the hearing granted, or failure to present evidence can result in a Best Judgment Assessment or an ex-parte order.

(Note: *Strike whichever is not applicable)

Date:

Yours faithfully,

Signature (Seal)
Designation

This is Digitally Signed Gazette. To verify, visit :
https://egazette.chd.gov.in

FORM 6
[See rule 5 (c)]
Final Notice

To

_____
_____

Sir/Madam,
Sub: M/s
Ref; Notice in Form - 4 dated:_____

Notice in Form - 5 dated:_____

Based on the information or reports received, it is prima facie apparent that the subject (deposit taker) is involved in the Act which are cognizable under the provisions of section 3 of the Act.

In exercise of the powers under sub section (3) and (4) of the section 7 of the Act, the following is ordered:

(A) Whereas you have failed to submit the details and documents called as per the Notice in Form A, at office of the undersigned on _____at_____.

and/or

(B) Whereas you have failed to furnish certain additional documents or details as per Notice in Form B, at office of the undersigned on _____at_____.

In view of non-compliance with the above orders of the undersigned, a final opportunity is given to appear at the office of the undersigned along with the details and documents called for on _____ at _____. In case you fail to comply with the orders of the undersigned, it will be deemed that you have nothing to say in the matter and action under the appropriate provisions of the Act will be initiated. Failure to be present at the hearing granted, or failure to present evidence can result in a Best Judgment Assessment or an ex parte order.

Yours faithfully,

Date:

DIPRAVA LAKRA, (IAS)
Finance Secretary,
Chandigarh Administration.

This is Digitally Signed Gazette. To verify, visit :
https://egazette.chd.gov.in

चंडीगढ़ प्रशासन
वित्त विभाग
(सांख्यिकी प्रकोष्ठ)
अधिसूचना

दिनांक 22.12.2025

सं. 3/4/02/आरओ(एसए)/**1072**.—अनियमित जमा योजना प्रतिबंध अधिनियम, 2019 (केंद्रीय अधिनियम 21, 2019) की धारा 38 द्वारा प्रदत्त शक्तियों और इस संबंध में उन्हें सक्षम बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार के परामर्श से, केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के प्रशासक, उक्त अधिनियम के प्रावधानों को क्रियान्वित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

नियम

1. **संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ:-** (1) इन नियमों को "चंडीगढ़ अनियमित जमा योजना प्रतिबंध नियम, 2025" कहा जा सकता है।

(2) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. परिभाषा:- (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो;

(क) "अधिनियम" का अर्थ है अनियमित जमा योजना प्रतिबंध अधिनियम, 2019 (केंद्रीय अधिनियम 21, 2019);

(ख) "आवेदन" का अर्थ है अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी द्वारा दायर आवेदन;

(ग) "शिकायत" का अर्थ है लिखित रूप में या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किया गया अभ्यावेदन या आरोप जिसमें अनियमित जमा योजना के प्रचार या संचालन या किसी विज्ञापन के बारे में जानकारी हो, जिसमें अनियमित जमा योजना में निवेश करने या उसका सदस्य बनने के लिए किसी व्यक्ति का अनुरोध शामिल हो;

(घ) "प्रपत्र" का अर्थ है इन नियमों के साथ संलग्न प्रपत्र;

(ङ) "सक्षम सरकार" का अर्थ है चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासक।

(च) "सक्षम प्राधिकारी" का अर्थ है अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के अंतर्गत उपयुक्त सरकार द्वारा नियुक्त प्राधिकारी;

(छ) "नामित न्यायालय" का अर्थ है अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (1) के अंतर्गत उपयुक्त सरकार द्वारा उच्च न्यायालय की सहमति से गठित एक नामित न्यायालय;

(ज) "धारा" का तात्पर्य अधिनियम की धारा से है; और

(झ) "स्वप्रेरणा से संज्ञान" का तात्पर्य किसी सरकारी एजेंसी, न्यायालय या अन्य राज्य या केंद्र सरकार के प्राधिकरण द्वारा स्वयं की आशंका या अपनी पहल पर की गई कार्रवाई से है।

This is Digitally Signed Gazette. To verify, visit :
https://egazette.chd.gov.in

(2) यहां प्रयुक्त और परिभाषित नहीं किए गए परंतु अधिनियम में परिभाषित शब्दों और अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो अधिनियम में उन्हें दिया गया है।

3. स्वयं सहायता समूहों के लिए अधिकतम सीमा:- स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों द्वारा प्रति वर्ष 4.00 लाख रुपये (केवल चार लाख रुपये) तक का किया गया कोई भी आवधिक भुगतान अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (4) के खंड (जे) में परिभाषित 'जमा' का हिस्सा नहीं होगा।

4. कुर्क की गई संपत्ति की अनंतिम कुर्की और प्रशासन की रीति:- सक्षम प्राधिकारी, अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (3) के अधीन, जमाकर्ता द्वारा धारित जमाराशियों और जमाकर्ता के नाम से या जमाकर्ता की ओर से किसी अन्य व्यक्ति के नाम से अर्जित धन या अन्य संपत्ति **(चल या अचल)** की अनंतिम कुर्की का अंतरिम आदेश, **प्रपत्र 1** में पारित करेगा, जिसमें कुर्क की जाने वाली संपत्ति (संपत्तियों) का निम्नलिखित विवरण दिया जाएगा, अर्थात्:-

(क) अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (2) के अधीन नियुक्त अधिकारियों द्वारा अनंतिम कुर्की के आदेश की एक प्रति, संपत्ति (संपत्तियों) के स्वामी या किसी अन्य व्यक्ति, जो उस पर कब्जा होने का दावा करता है या किसी अन्य व्यक्ति, जिसका उक्त संपत्ति (संपत्तियों) में हित है, को तामील की जाएगी;

(ख) इस नियम के अंतर्गत अनंतिम कुर्की आदेश पारित करने के पश्चात, सक्षम प्राधिकारी धारा 7 की उपधारा (2) के अंतर्गत नियुक्त अधिकारियों को इस प्रकार कुर्क की गई संपत्ति(यों) और इस संबंध में किए गए व्यय का विवरण तैयार करने और बनाए रखने का निर्देश देगा;

(ग) धारा 7 की उपधारा (2) के अंतर्गत नियुक्त अधिकारी इस प्रकार कुर्क की गई संपत्ति(यों) का कब्जा लेने के प्रयोजनार्थ पुलिस, चंडीगढ़ प्रशासन के अन्य अधिकारियों, केंद्र सरकार, वित्तीय संस्थाओं, सोसाइटी या व्यक्तियों के निकाय से सहायता ले सकते हैं;

(घ) अनंतिम कुर्की का आदेश हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं के किसी प्रमुख समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाएगा जिसका उस क्षेत्र या अधिकार क्षेत्र में व्यापक प्रसार हो जिसमें जमाकर्ता स्थित है;

(ङ) सक्षम प्राधिकारी अनंतिम कुर्की के आदेश की एक प्रति संबंधित राजस्व, कर, या इस संबंध में अपेक्षित किसी अन्य अधिकारी को उक्त चल या अचल संपत्ति (संपत्तियों) पर अधिभार लगाने के लिए भेजेगा, जिसे केवल सक्षम प्राधिकारी के लिखित निर्देश पर ही हटाया जाएगा;

(च) जहां धारा 7 की उपधारा (2) के अधीन नियुक्त सक्षम प्राधिकारी या अधिकारी खंड (क) में विनिर्दिष्ट किसी व्यक्ति को अनंतिम कुर्की का आदेश तामील करने में समर्थ नहीं है, वहां ऐसे

This is Digitally Signed Gazette. To verify, visit :
https://egazette.chd.gov.in

व्यक्ति को खंड (घ) के अधीन विनिर्दिष्ट रीति से आदेश के प्रकाशन द्वारा आदेश तामील किया गया समझा जाएगा;

(छ) धारा 7 की उपधारा (2) के अधीन नियुक्त अधिकारी, सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से, ऐसी **अचल संपत्ति (संपत्तियों)** के किसी सहजदृश्य स्थान पर अनंतिम कुर्की का आदेश चिपकाकर, उस अचल संपत्ति (संपत्तियों) का कब्जा लेगा;

(ज) जहां कुर्क की जाने वाली संपत्ति (संपत्तियां) **चल संपत्ति (संपत्तियां)** है, वहां धारा 7 की उपधारा (2) के अधीन नियुक्त अधिकारी ऐसी संपत्ति (संपत्तियों) का वास्तविक कब्जा लेंगे और सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से उसे अपनी अभिरक्षा में रखेंगे;

(झ) धारा 7 की उपधारा (2) के अधीन नियुक्त अधिकारी जमाकर्ता की परिसंपत्तियों और दायित्वों का मूल्यांकन करेंगे और उन जमाकर्ताओं का पूर्ण अभिलेख तैयार करेंगे जिनसे जमाकर्ता ने अनियमित जमा योजना के अनुसरण में जमा राशि एकत्रित की है;

(ञ) धारा 7 की उपधारा (2) के अधीन नियुक्त अधिकारी, खंड 4 (झ) के अधीन जमाकर्ता की परिसंपत्तियों और दायित्वों का मूल्यांकन करने के प्रयोजनार्थ एक मूल्यांकक नियुक्त कर सकते हैं;

(ट) जहाँ कोई संपत्ति (संपत्तियाँ) जिसका कब्ज़ा लिया गया है, नाशवान या खतरनाक प्रकृति की है, वहाँ धारा 7 की उपधारा (2) के अधीन नियुक्त अधिकारी जमाकर्ताओं के सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखते हुए ऐसी संपत्ति का निपटान कर सकते हैं;

(ठ) खंड (ट) के अधीन नाशवान या खतरनाक वस्तुओं की बिक्री की सूचना का विवरण और आय प्रपत्र 2 में दर्ज की जाएगी; और

(ड) निर्दिष्ट न्यायालय द्वारा निर्देशित चल या अचल संपत्तियों की बिक्री की सूचना का विवरण और आय **प्रपत्र 3** में दर्ज की जाएगी।

5. **धारा** 7 **की उपधारा (**2) **के अधीन नियुक्त सक्षम प्राधिकारी या अधिकारी निम्नलिखित नोटिस जारी करने की शक्तियाँ रखेंगे**, **अर्थात्: -**

(क) **प्रपत्र** 4 में निर्दिष्ट तरीके से कार्रवाई आरंभ करने के लिए नोटिस**;**

This is Digitally Signed Gazette. To verify, visit :
https://egazette.chd.gov.in

(ख) **प्रपत्र** 5 में निर्दिष्ट तरीके से अतिरिक्त जानकारी, यदि कोई हो, के लिए नोटिस;

(ग) **प्रपत्र** 6में निर्दिष्ट तरीके से जमाकर्ता या अन्य व्यक्ति और गवाहों की व्यक्तिगत उपस्थिति के लिए अंतिम नोटिस।

6. (1) फरार व्यक्तियों से संबंधित शक्तियां- जहां सक्षम प्राधिकारी या सक्षम प्राधिकारी की सहायता के लिए नियुक्त अधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं या उनके पास यह विश्वास करने का कारण है कि कोई व्यक्ति, जिसके संबंध में अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई की जानी है, फरार हो गया है या अपने आप को छिपा रहा है, वहां सक्षम प्राधिकारी या सक्षम प्राधिकारी की सहायता के लिए नियुक्त अधिकारी आगे की कार्रवाई के लिए नामित न्यायालय को लिखित में रिपोर्ट देंगे।

(2) विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञों को नियुक्त करने की शक्ति - सक्षम प्राधिकारी या सक्षम प्राधिकारी की सहायता के लिए नियुक्त अधिकारी, आवश्यकतानुसार, अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन और निष्पादन के लिए आवश्यक विशेषज्ञों की सेवाओं का उपयोग करने का हकदार होगा।

This is Digitally Signed Gazette. To verify, visit :
https://egazette.chd.gov.in

प्रपत्र 1

[नियम 4 देखें]

संदर्भ संख्या .....

प्रति

नाम

पता

(बैंक/डाकघर/वित्तीय संस्थान/अचल संपत्ति पंजीकरण प्राधिकारी)

धारा 7(3) के अंतर्गत संपत्ति की अनंतिम कुर्की

यह सूचित किया जाता है कि मेसर्स .....(नाम) के विरुद्ध कार्यवाही दर्ज की गई है, यह सूचना प्राप्त होने पर कि उपर्युक्त व्यक्ति अनियमित जमा योजनाओं पर प्रतिबंध अधिनियम, 2019 (केंद्रीय अधिनियम 21, 2019) की धारा 3 का उल्लंघन करते हुए जमा राशि मांग रहा है।

अतः, मैं .....(नाम), ...(पदनाम), अधिनियम की धारा 7 की उप-धारा (3) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित खाते/संपत्ति को अनंतिम रूप से कुर्क करता/करती हूँ।

संपत्ति(यों)/खातों का विवरण

ऊपर लिखित संपत्ति का निपटान अधोहस्ताक्षरी की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जा सकेगा।

प्रतिलिपि ..... को प्रेषित

हस्ताक्षर:

नाम:

पदनाम:

This is Digitally Signed Gazette. To verify, visit :
https://egazette.chd.gov.in

प्रपत्र 2

[नियम 4 (1) देखें]

संपत्ति की बिक्री हेतु सूचना

(केवल नाशवान एवं खतरनाक प्रकृति)

कार्यालय ----------

यद्यपि नीचे दी गई अनुसूची में उल्लेखित मेसर्स ---------- (बकायाकर्ता) की संपत्ति को ---------- रुपये की बकाया राशि की वसूली के लिए कुर्क किया गया है, जो राशि बकाया राशि, लागत, प्रभार और वसूली की कार्यवाही के व्यय के तुरंत बाद शुरू होने वाली अवधि के लिए ---------- की दर से ब्याज सहित वसूली योग्य है।

संपत्ति की नाशवान या खतरनाक प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, अधोहस्ताक्षरी ने उक्त बकाया, लागत, प्रभार और व्यय की पूर्ति हेतु संलग्न अनुसूची में उल्लिखित कुर्क संपत्ति की बिक्री का आदेश दिया है;

और चूँकि ---------- के दिन ---------- (बिक्री के लिए निर्धारित तिथि) को लागत और ब्याज सहित ---------- रुपये की राशि देय होगी;

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि किसी स्थगन आदेश के अभाव में, उक्त संपत्ति उक्त ..... दिन ..... को ..... (स्थान) पर सुबह/शाम ---------- बजे सार्वजनिक नीलामी में ---------- द्वारा बेची जाएगी।

बिक्री के समय, आम जनता को व्यक्तिगत रूप से या विधिवत अधिकृत एजेंटों द्वारा बोली लगाने के लिए आमंत्रित किया जाता है। इस बिक्री के संबंध में कोई भी कर्तव्य निभाने वाला कोई भी अधिकारी या अन्य व्यक्ति, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बोली नहीं लगाएगा या बेची गई संपत्ति में कोई हित प्राप्त नहीं करेगा।

बिक्री निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों के अधीन होगी:-

(i) संलग्न अनुसूची में निर्दिष्ट विवरण नीचे हस्ताक्षरकर्ता की सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार बताए गए हैं, लेकिन नीचे हस्ताक्षरकर्ता इस सूचना में किसी भी त्रुटि, गलत बयान या चूक के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

(ii) बोली की राशि में वृद्धि बिक्री का संचालन करने वाले अधिकारी द्वारा निर्धारित की जाएगी। बोली की राशि या बोली लगाने वाले के संबंध में किसी भी विवाद की स्थिति में, लॉट को तुरंत पुनः नीलामी के लिए रखा जाएगा।

(iii) उच्चतम बोली लगाने वाले को किसी भी लॉट का क्रेता घोषित किया जाएगा, बशर्ते कि वह बोली लगाने के लिए कानूनी रूप से योग्य हो, और जब बोली निर्धारित आरक्षित मूल्य, यदि कोई हो, से कम हो या जब प्रस्तावित मूल्य इतना स्पष्ट रूप से अपर्याप्त प्रतीत हो कि ऐसा करना उचित हो, तो उच्चतम बोली को स्वीकार करने की घोषणा करना अधोहस्ताक्षरी के विवेक पर होगा।

This is Digitally Signed Gazette. To verify, visit :
https://egazette.chd.gov.in

(iv) क्रेता घोषित व्यक्ति ऐसी घोषणा के तुरंत बाद अपनी क्रय राशि का पचास प्रतिशत बिक्री करने वाले अधिकारी को जमा करेगा और ऐसी जमा राशि न देने पर, संपत्ति को पुनः नीलामी के लिए रखा जाएगा और पुनः बेचा जाएगा। देय क्रय राशि की पूरी राशि क्रेता द्वारा अधोहस्ताक्षरी को संपत्ति की बिक्री की तिथि से 30वें दिन या उससे पहले, उस दिन को छोड़कर, या यदि 30वां दिन रविवार या अन्य अवकाश है तो 30वें दिन के बाद पहले कार्यालय दिवस पर भुगतान की जाएगी। उपर्युक्त अवधि के भीतर भुगतान न करने पर, बिक्री का नया नोटिस जारी करने के बाद संपत्ति को पुनः बेचा जाएगा। बिक्री के खर्चों को चुकाने के बाद जमा राशि सरकार द्वारा जब्त कर ली जाएगी और चूककर्ता क्रेता संपत्ति या उस राशि के किसी भी हिस्से पर अपने सभी दावों को खो देगा, जिस पर इसे बाद में बेचा जा सकता है।

अनुसूची- संपत्ति [नाशवान या खतरनाक प्रकृति]

क्रम संख्या वस्तु	विनिर्देश वस्तु	मूल्यांकित राशि	जिसके लिए बिक्री का आदेश दिया गया है

This is Digitally Signed Gazette. To verify, visit :
https://egazette.chd.gov.in

प्रपत्र 3

[नियम 4(ड) देखें]

संपत्ति की बिक्री हेतु सूचना

(निर्दिष्ट न्यायालय के निर्देशानुसार)

कार्यालय .....

जहाँ नीचे दी गई अनुसूची में उल्लेखित मेसर्स..... (बकायाकर्ता) की संपत्ति को ..... रुपये की बकाया राशि की वसूली के लिए कुर्क किया गया है, जो राशि बकाया राशि के तुरंत बाद शुरू होने वाली अवधि के लिए ..... की दर से ब्याज सहित वसूली योग्य है, जो कि उसकी वसूली के लिए कार्यवाही की लागत, प्रभार और व्यय हैं।

और चूँकि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त बकाया, लागत, प्रभार और व्यय की पूर्ति हेतु संलग्न अनुसूचियों में उल्लिखित कुर्क संपत्ति की बिक्री का आदेश दिया है।

और चूँकि ..... के दिन (बिक्री के लिए निर्धारित तिथि) को लागत और ब्याज सहित ..... रुपये की राशि देय होगी;

इसके द्वारा सूचित किया जाता है कि किसी स्थगन आदेश के अभाव में, उक्त संपत्ति ..... के दिन ..... को .....(स्थान) पर ..... पूर्वाह्न/अपराह्न सार्वजनिक नीलामी में ..... द्वारा बेची जाएगी।

बिक्री नीचे दी गई अनुसूचियों में उल्लिखित संपत्ति की होगी। उक्त संपत्ति से जुड़ी देनदारियाँ और दावे, जहाँ तक उनका पता लगाया गया है, वे हैं जो प्रत्येक लॉट के सामने अनुसूचियों में निर्दिष्ट हैं।

जब संपत्ति का कोई भाग बिक्री के लिए रखा जाता है, तो शेष भाग के संबंध में बिक्री तुरंत रोक दी जाएगी। यदि बिक्री या प्रूफ़ का संचालन करने वाला अधिकारी इस बात से संतुष्ट हो जाता है कि किसी भी लॉट को गिराए जाने से पहले, बकाया राशि, ब्याज और लागत का भुगतान अधोहस्ताक्षरी को कर दिया गया है, तो बिक्री रोक दी जाएगी।

बिक्री के समय, आम जनता को व्यक्तिगत रूप से या विधिवत अधिकृत एजेंटों के माध्यम से बोली लगाने के लिए आमंत्रित किया जाता है। हालाँकि, इस बिक्री से संबंधित कोई भी अधिकारी या अन्य व्यक्ति, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बोली नहीं लगाएगा या बेची गई संपत्ति में कोई रुचि नहीं लेगा।

बिक्री निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों के अधीन होगी: -

(i) संलग्न अनुसूचियों में निर्दिष्ट विवरण अधोहस्ताक्षरी की सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार दिए गए हैं, किन्तु अधोहस्ताक्षरी इस सूचना में किसी भी त्रुटि, गलत कथन या चूक के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

This is Digitally Signed Gazette. To verify, visit :
https://egazette.chd.gov.in

(ii) बोली की राशि में वृद्धि बिक्री का संचालन करने वाले अधिकारी द्वारा निर्धारित की जाएगी। बोली की राशि या बोली लगाने वाले के संबंध में किसी भी विवाद की स्थिति में, लॉट को तुरंत पुनः नीलामी के लिए रखा जाएगा।

(iii) उच्चतम बोली लगाने वाले को किसी भी लॉट का क्रेता घोषित किया जाएगा, बशर्ते कि वह बोली लगाने के लिए कानूनी रूप से योग्य हो, और जब बोली निर्धारित आरक्षित मूल्य, यदि कोई हो, से कम हो या जब प्रस्तावित मूल्य इतना स्पष्ट रूप से अपर्याप्त प्रतीत हो कि ऐसा करना उचित हो, तो उच्चतम बोली को स्वीकार करने की घोषणा अधोहस्ताक्षरी के विवेक पर होगी।

(iv) क्रेता घोषित व्यक्ति ऐसी घोषणा के तुरंत बाद बिक्री का संचालन करने वाले अधिकारी को अपनी क्रय राशि की पंद्रह प्रतिशत राशि जमा कराएगा और ऐसी जमा राशि जमा न कराने पर संपत्ति को फिर से बेच दिया जाएगा। देय क्रय राशि की पूरी राशि क्रेता द्वारा अधोहस्ताक्षरी को संपत्ति की बिक्री की तारीख से 30वें दिन या उससे पहले, उस दिन को छोड़कर या यदि 30वां दिन रविवार या अन्य अवकाश है तो 30वें दिन के बाद पहले कार्यालय दिवस पर चुकाई जाएगी। ऊपर उल्लिखित अवधि के भीतर भुगतान न करने पर, बिक्री की नई सूचना जारी होने के बाद संपत्ति को फिर से बेच दिया जाएगा। बिक्री के खर्चों को चुकाने के बाद जमा राशि सरकार को जब्त कर ली जाएगी और चूक करने वाला क्रेता संपत्ति या उस राशि के किसी भी हिस्से पर सभी दावों को खो देगा, जिस पर इसे बाद में बेचा जा सकता है।

अनुसूची-। [चल संपत्ति]

क्रम संख्या	वस्तु	आइटम विनिर्देश	मूल्यांकित	वह राशि जिसके लिए बिक्री मूल्य का आदेश दिया गया है

अनुसूची-II [अचल संपत्ति]

तालुका	गाँव का नाम	चूककर्ता	भूमि और उसके भवन तथा उस पर अन्य ज्ञात सुधारों की स्थिति और विस्तार	भूमि या उसके विभिन्न खंडों पर निर्धारित राजस्व की राशि	वह राशि जिसकी वसूली के लिए बिक्री का आदेश दिया गया है
1	2	3	4	5	6

This is Digitally Signed Gazette. To verify, visit :
https://egazette.chd.gov.in

प्रपत्र 4

[नियम 5(क) देखें]

कार्रवाई आरंभ करने हेतु सूचना

प्रति

_____

_____

महोदय/महोदया,

विषय: मेसर्स

प्राप्त सूचना या रिपोर्टों के आधार पर, प्रथम दृष्टया यह स्पष्ट है कि विषय (जमाकर्ता) इस अधिनियम की धारा 3 के प्रावधानों के अंतर्गत संज्ञेय कृत्य में संलिप्त है। अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (3) और (4) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित आदेश दिया जाता है:

विषय के संबंध में, आपको निम्नलिखित प्रस्तुत करना आवश्यक है:

(क) वित्तीय इकाई का विवरण, इकाई का पंजीकरण, नियामकों से जमा स्वीकार करने की अनुमति, यदि कोई हो, जिसमें विशिष्ट पहचान संख्या या पंजीकरण और पैन नंबर शामिल हैं।

(ख) प्रवर्तकों, प्रबंध निदेशकों, निदेशकों, भागीदारों, प्रबंधन व्यक्तियों आदि का विवरण, जिसमें विशिष्ट पहचान संख्या या पंजीकरण और पैन नंबर शामिल हैं।

(ग) नवीनतम लेखापरीक्षित तुलन पत्र और दाखिल लाभ-हानि खाते।

(घ) नियामक का विवरण और पंजीकरण प्रमाणपत्रों की प्रति, जमा लेने की गतिविधि करने की अनुमति।

(ङ) जमा योजना का पूरा विवरण प्रस्तुत करें जिसके अंतर्गत जनता से जमा राशि एकत्र की जा रही है।

(च) जमाकर्ताओं की सूची, स्वीकृत जमा राशि, ब्याज दर, परिपक्वता तिथि, ब्याज और मूलधन की चुकौती की शर्तें, कोई अन्य वादे या आश्वासन या देय कमीशन आदि।

(छ) जमा राशि के पुनर्भुगतान में चूक का विवरण, यदि कोई हो या ऐसी जमा राशि के विरुद्ध वादा की गई कोई निर्दिष्ट सेवा, चूक की तिथि सहित।

(ज) चूक की कुल राशि और प्रभावित जमाकर्ताओं की संख्या, यदि कोई हो।

(झ) चूक के कारण, यदि कोई हो।

(ञ) चूक की गई राशि चुकाने के लिए उठाए गए या प्रस्तावित कदम।

(ट) वित्तीय संस्था के बैंक खातों का विवरण, खातों में नवीनतम शेष राशि सहित।

आपको उपर्युक्त सभी विवरण विधिवत सत्यापित और वैध दस्तावेजों, खातों और किसी भी अन्य साक्ष्य (यदि कोई हो) द्वारा समर्थित प्रस्तुत करने होंगे, जिन पर आप इस गतिविधि या मामले के कार्यों के समर्थन में भरोसा कर सकते हैं। नीचे दिए गए हस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में _____ को _____ पर, व्यक्तिगत रूप से या लिखित रूप से अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत करें।

यदि आप नीचे दिए गए हस्ताक्षरकर्ता के आदेशों का पालन करने में विफल रहते हैं, तो यह माना जाएगा कि आपको इस मामले में कुछ नहीं कहना है और अधिनियम के उपयुक्त प्रावधानों के तहत कार्रवाई शुरू की जाएगी। सुनवाई में उपस्थित न होने या साक्ष्य प्रस्तुत न करने पर सर्वोत्तम निर्णय मूल्यांकन या एकपक्षीय आदेश जारी किया जा सकता है।

दिनांक:

भवदीय,

हस्ताक्षर
पदनाम

This is Digitally Signed Gazette. To verify, visit :
https://egazette.chd.gov.in

प्रपत्र 5

[नियम 5 (ख) देखें]
अतिरिक्त जानकारी के लिए सूचना

प्रति

_____

_____

महोदय/महोदया,

विषय: मेसर्स

संदर्भ: प्रपत्र-4 में सूचना:- दिनांक

प्राप्त सूचना या रिपोर्टों के आधार पर, प्रथम दृष्टया यह स्पष्ट है कि विषय (जमाकर्ता) अधिनियम की धारा 3 के प्रावधानों के अंतर्गत संज्ञेय कृत्य में संलिप्त है।
अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (3) और (4) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित आदेश दिया जाता है:
(क) अनियमित जमा योजनाओं या ऐसी जमा राशि के विरुद्ध वादा की गई किसी निर्दिष्ट सेवा के संबंध में नीचे सूचीबद्ध कुछ विवरण या स्पष्टीकरण या अतिरिक्त जानकारी अपेक्षित है। आपको एतद्द्वारा इसे तत्काल प्रस्तुत करना आवश्यक है।
i.
ii.
iii.
iv.
(ख) आपको एतद्वारा उपर्युक्त सूचीबद्ध पूर्ण विवरण विधिवत सत्यापित और वैध दस्तावेजों, विवरणों और किसी भी अन्य साक्ष्य, यदि कोई हो, द्वारा समर्थित प्रस्तुत करना आवश्यक है, जिस पर आप इस गतिविधि या मामले के कार्यों के समर्थन में भरोसा कर सकते हैं। दिनांक _____ पर _____ पर, व्यक्तिगत रूप से या लिखित रूप में विधिवत अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत करें।
(ग) यदि आप हस्ताक्षरकर्ता के आदेशों का पालन करने में विफल रहते हैं, तो यह माना जाएगा कि आपको इस मामले में कुछ नहीं कहना है और अधिनियम के उपयुक्त प्रावधानों के तहत कार्रवाई शुरू की जाएगी। सुनवाई में उपस्थित न होने या साक्ष्य प्रस्तुत न करने पर सर्वोत्तम निर्णय मूल्यांकन या एकपक्षीय आदेश जारी किया जा सकता है।
(नोट: *जो लागू न हो उसे काट दें)

दिनांक:

भवदीय,

हस्ताक्षर (मुहर)
पदनाम

This is Digitally Signed Gazette. To verify, visit :
https://egazette.chd.gov.in

प्रपत्र 6

[नियम 5 (ग) देखें]

अंतिम सूचना

प्रति

महोदय/महोदया,

विषय: मेसर्स

संदर्भ: प्रपत्र - 4 में सूचना दिनांक: _____

प्रपत्र - 5 में सूचना दिनांक: _____

प्राप्त सूचना या रिपोर्टों के आधार पर, प्रथम दृष्टया यह स्पष्ट है कि विषय (जमाकर्ता) अधिनियम की धारा 3 के प्रावधानों के अंतर्गत संज्ञेय कृत्यों में संलिप्त है।

अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (3) और (4) के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित आदेश दिया जाता है:

(क) चूँकि आप प्रपत्र 'क' में सूचना के अनुसार मांगे गए विवरण और दस्तावेज़ अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में _____को_____पर जमा करने में विफल रहे हैं।

और/या

(ख) चूँकि आप प्रपत्र 'ख' में सूचना के अनुसार मांगे गए कुछ अतिरिक्त दस्तावेज़ या विवरण अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में _____को_____पर जमा करने में विफल रहे हैं।

अधोहस्ताक्षरी के उपर्युक्त आदेशों का पालन न करने के कारण, आपको आवश्यक विवरण और दस्तावेज़ों के साथ अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में दिनांक_____को_____को उपस्थित होने का अंतिम अवसर दिया जाता है। यदि आप अधोहस्ताक्षरी के आदेशों का पालन करने में विफल रहते हैं, तो यह माना जाएगा कि आपको इस मामले में कुछ नहीं कहना है और अधिनियम के उपयुक्त प्रावधानों के तहत कार्रवाई शुरू की जाएगी। निर्धारित सुनवाई में उपस्थित न होने या साक्ष्य प्रस्तुत न करने पर सर्वोत्तम निर्णय मूल्यांकन या पूर्व पक्ष आदेश जारी किया जा सकता है।

भवदीय,

दिनांक:

दिप्रवा लाकड़ा,
वित्त सचिव,
चंडीगढ़ प्रशासन।

This is Digitally Signed Gazette. To verify, visit :
https://egazette.chd.gov.in

HIGH COURT OF PUNJAB AND HARYANA AT CHANDIGARH

Notification

The 19th December, 2025

No. 260.—In exercise of the powers conferred under Rule 3-A of Chapter-6, Part-B, Punjab and Haryana High Court Rules and Orders, Volume V, Hon'ble the Chief Justice has been pleased to order that Number on Rolls (NoR) in respect of **Sh. Rangat Ghirra, Advocate, Enrolment No. P/1455/2015,** enrolled on Roll of Advocates at **Number on Rolls (NoR) - PH224201,** vide Notification No.123 dated 30.05.2022, has been made non-functional, on account of his joining the Delhi Judicial Service on 01.09.2023.

BY ORDER OF HON' BLE THE CHIEF JUSTICE.

(Sd.) . . .,

(REGISTRAR GENERAL)

This is Digitally Signed Gazette. To verify, visit :
https://egazette.chd.gov.in

HIGH COURT OF PUNJAB AND HARYANA AT CHANDIGARH

Notification

Thw 18th December, 2025

No. 259.—In exercise of the powers vested in them by Section 139 (b) of the Code of Civil Procedure, 1908; Section 333 of The Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 and Section 3(2)(a) of the Oaths Act, 1969 (Act No. 44 of 1969), Hon'ble the Chief Justice and Hon'ble Judges are pleased to appoint:

Sr. No.	**Name of the Advocate/ Father's Name/ Place for which applied for**	**Remarks**
1	Sh.Parveen Kumar s/o Sh.Piara Lal, District Court, Chandigarh	For a period of two years from the date of notification, subject to the curtailment, if any.

as Oath Commissioner(s) for administering oaths and affirmations to the deponents of affidavits under the provisions of the aforesaid Acts in accordance with the terms specified in Rule 5, Chapter 12-B of the High Court Rules and Orders, Volume-IV.

BY ORDER OF HON'BLE THE CHIEF JUSTICE AND HON'BLE JUDGES

(Sd.) . . .,

Assistant Registrar (Rules),
for Registrar General.

This is Digitally Signed Gazette. To verify, visit :
https://egazette.chd.gov.in

SECRETARIAT OF THE ELECTION COMMISSION OF INDIA
Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001

DATED:- 18TH DECEMBER, 2025
27 AGRAHAYANA, 1947(SAKA)

NOTIFICATION

No. 429/CHD/2025:—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of the Section 13B of the Representation of the People Act, 1950, (43 of 1950), the Election Commission of India hereby directs that following amendment shall be made in its Notification No. 429/CHD/2020, dated 30th June, 2020, relating to the appointment of the Electoral Registration Officer of Parliamentary Constituency in UT of Chandigarh.

In column (2) of the table appended to the said notification, for the existing entry against the parliamentary constituency shown in column (1), the following entries shall be added.

Table

Name of Parliamentary Constituency	Electoral Registration Officer
(1)	(2)
01-UT of Chandigarh	2. Sub Divisional Magistrate (Central), U.T., Chandigarh 3. Sub Divisional Magistrate (East), U.T., Chandigarh 4. Sub Divisional Magistrate (South), U.T., Chandigarh 5. Director Transport, U.T., Chandigarh 6. Director Social Welfare, U.T., Chandigarh

The Appointment of the above officers will cease to be effective after the completion of Special Intensive Revision-2025-26 in UT of Chandigarh.

By Order,

(Sd.) . . .,

N.T.BHUTIA
PRINCIPAL SECRETARY
ELECTION COMMISSION OF INDIA

This is Digitally Signed Gazette. To verify, visit :
https://egazette.chd.gov.in

भारत निर्वाचन आयोग सचिवालय

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

दिनांक:- 18 दिसम्बर, 2025

27 अग्रहायण, 1947 (शक)

अधिसूचना

सं.429/चंडीगढ़/2025:- लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950(1950 का 43) की धारा 13ख की उप-धारा (1) द्वारा प्रदतशक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत निर्वाचन आयोग, एतद्द्वारा केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की नियुक्ति से संबंधित इसकी अधिसूचना संख्या 429/चंडीगढ़/2020, दिनांक 30 जून, 2020 में निम्नलिखित संशोधन करता है।

उक्त अधिसूचना के साथ सलंगन सारणी के कॉलम (2) में, कॉलम (1) में दर्शाए गए संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के सामने विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित पृविष्टियाँ जोड़ी जाएंगी-

सारणी

संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का नाम	निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी
(1)	(2)
01- केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़	2. उप मंडल मजिस्ट्रेट(केन्द्रीय), केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ 3. उप मंडल मजिस्ट्रेट(पूर्व), केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ 4. उप मंडल मजिस्ट्रेट(दक्षिण), केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ 5. निदेशक परिवहन, केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ 6. निदेशक समाज कल्याण, केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़

उपरोक्त अधिकारियों की यह नियुक्ति केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में विशेष गहन पुनरीक्षण-2025-26 की समाप्ति के पश्चात प्रभावी नही रहेगी।

आदेश से,

हस्ता...

एन.टी.भूटिया
प्रधान सचिव
भारत निर्वाचन आयोग

No legal responsibility is accepted for the contents of publication of advertisements/public notices in this part of the Chandigarh Administration Gazette. Persons notifying the advertisements/ public notices will remain solely, responsible for the legal consequences and also for any other misrepresentation etc. "

176—Ptg. & Sty. Deptt., U.T., Chd.